न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 709 सन 2022

अनवान :–

1. सुशील पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. संजय पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. अमरजीत पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. आत्माराम पुत्र इन्द्रपाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. सावित्री पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. कविता पुत्री जगदीश पत्नी अमरचन्द जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
4. अनुसूईया पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
5. प्ररेणा पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/10/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 44/43 की कुल 6.9560हैक एव रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 56/49 की कुल 2.8070हैक भूमि आत्माराम पुत्र इन्द्रपाल के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज चानणराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त हो चुका है जिसके दो पुत्र हंसराज व इन्द्रपाल थे जिनका भी देहान्त हो चुका है हसराम की पत्नी रामेश्वरी थी जिसका भी देहानत हो चुका है जिसके दो पुत्र जगदीश एव कृष्णलाल का भी देहान्त हो चुका है जिसकी पत्नीया सावित्री व सुमित्रा एव पुत्र पुत्रीया वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है तथा ईन्द्रपाल का देहान्त हो चुका है जिसका एक पुत्र आत्माराम है।

वाद भूमि पूर्व में चानणराम एव उसके पश्चात उसके दो पुत्रों पर औद होनी चाहिये थे किन्तु सहवन से वाद भूमि ईन्द्रपाल के पुत्र आत्माराम के नाम से दर्ज हो गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है आत्माराम के नाम से दर्ज भूमि में आत्माराम का 1/2 हिस्सा एव वादीगण का प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था किन्त समस्त वाद भूमि अकेले आत्माराम के नाम से दर्ज होने से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हको का हनन होता है।

वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 जो एक ही परिवार के सदस्य है के मध्य आपसी सहमति से परिवारिक समझौता हुआ जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को दे दी गई थी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी संख्या 1 की माता बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसप्रकार वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार काश्त करते आ रहे है किन्त राजस्व रिकार्ड में वादीगण के हक हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम दर्ज नही है जिसे वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिसस की भूमि है जिसे वादीगण व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज चानणराम के नाम से दर्ज थी पूर्वज चानणराम एव उनके पुत्रो के देहान्त होने के बाद 1/2 हिस्सा आत्माराम के नाम एव 1/2 हिस्सा वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज होना चाहिये था किन्तु सहवन से समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मेरे नाम दर्ज हो गई है। मेरे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादीगण का हक हिस्सा है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी संख्या 1 की माता /बहन है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसप्रकार वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के परिवारिक समझौता के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 44/43 की कुल 6.9560हैक्ट एव रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 56/49 की कुल 2.8070हैक्ट भूमि आत्माराम पुत्र इन्द्रपाल के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज चानणराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त हो चुका है जिसके दो पुत्र हंसराज व इन्द्रपाल थे जिनका भी देहान्त हो चुका है हसराम की पत्नी रामेश्वरी थी जिसका भी देहानत हो चुका है जिसके दो पुत्र जगदीश एव कृष्णलाल का भी देहान्त हो चुका है जिसकी पत्नीया सावित्री व सुमित्रा एव पुत्र पुत्रीया वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है तथा ईन्द्रपाल का देहान्त हो चुका है जिसका एक पुत्र आत्माराम है।

वाद भूमि पूर्व में चानणराम एव उसके पश्चात उसके दो पुत्रों पर औद होनी चाहिये थे किन्तु सहवन से वाद भूमि ईन्द्रपाल के पुत्र आत्माराम के नाम से दर्ज हो गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है आत्माराम के नाम से दर्ज भूमि में आत्माराम का 1/2 हिस्सा एव वादीगण का प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था किन्त समस्त वाद भूमि अकेले आत्माराम के नाम से दर्ज होने से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हको का हनन होता है।

वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 जो एक ही परिवार के सदस्य है के मध्य आपसी सहमति से परिवारिक समझौता हुआ जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को दे दी गई थी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी संख्या 1 की माता बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसप्रकार वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार काश्त करते आ रहे है किन्त राजस्व रिकार्ड में वादीगण के हक हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम दर्ज नही है जिसे वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 44/43 की कुल 6.9560हैक एव रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 56/49 की कुल 2.8070हैक भूमि आत्माराम पुत्र इन्द्रपाल के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज चानणराम के नाम से दर्ज थी पूर्वज चानणराम एव उनके पुत्रों के देहान्त होने पर समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के नाम से दर्ज हो गई है जबकि आत्माराम का वाद भूमि में 1/2 हिस्सा व वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य परिवारिक समझौता होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि में से 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि दे दी गई थी किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनो को प्रतिवाादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि सहवन से उसके नाम से दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी संख्या 1 का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है इसप्रकार वाद भूमि वादीगण एव पप्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 44/43 की कुल 6.9560हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा का तथा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 56/49 की कुल 2.8070हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 ता 4 तीनो बहिब 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुशील पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2 संजय पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3 अमरजीत पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
4 सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 आत्माराम पुत्र इन्द्रपाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2 सावित्री पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3 कविता पुत्री जगदीश पत्नी अमरचन्द जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
4 अनुसूईया पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
5 प्रेरणा पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 709 सन 2022 निर्णय दिनांक– 04/10/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 44/43 की कुल 6.9560हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 ता 4 तीनो बहिब 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा का तथा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 56/49 की कुल 2.8070हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 ता 4 तीनो बहिब 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner